सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No. **NCST/SER-1955/MHFW/1/2025(RU-III)**

20.03.2025

1. **Ms. Punya Salila Srivastava,**
Secretary,
Ministry of Health & Family Welfare,
Government of India,
Nirman Bhawan, New Delhi-110001,
E-Mail: secyhfw@nic.in

2. **Dr. Anup Anvikar**
Director,
National Malaria Research Institute
Sector 8, Dwarka
New Delhi - 110077
Email Id: director-nimr@icmr.gov.in
Tel. No: 011-25307103

Sub: अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के साथ राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के प्रशासन द्वारा अन्याय करने के संबंध में - श्रीमति मोहिनी (अभ्यर्थी तकनीशियन - 1), ए-107, सीलमपुर, नई दिल्ली - 110053 के दिनांक 24.01.2025 का अभ्यावेदन।

Mam/Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held under the Chairmanship of Shri Jathothu Hussain, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 04.03.2025 at NCST, New Delhi on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be submitted to NCST within stipulated time from receipt of the letter, for placing it before Hon'ble Commission.

Yours faithfully,

(R. K. Dubey)
Deputy Director
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

1. Smt. Mohini, House No.106, Block-14, Trilokpuri, Delhi-110091, Mobile No:9968219799.
2. PS to Hon'ble Member (Shri Jathothu Hussain), NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>

श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में लोक नायक भवन, खान मार्केट, नयी दिल्ली मे, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के साथ राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्र न देने के संबंध में श्रीमति मोहिनी (अभ्यर्थी तकनीशियन - 1), त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली, आयोजित बैठक के कार्यवृत

फा. सं.: NCST/SER-1955/MHFW/1/2025-RU-III
बैठक की तिथि :4.03.2025 को 5:20 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्रीमती मोहिनी (अभ्यर्थी तकनीशियन – 1), त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली ने दिनांक 24.01.2025 के अभ्यावेदन द्वारा यह बताया कि राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्रशासन द्वारा उन्हें रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उन्होने यह भी बताया कि यह पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के द्वारा त्यागपत्र देने के बाद खाली हुआ है एवं प्रतीक्षा सूची में वह दूसरे स्थान पर है। इस संबंध में उनके द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के प्रशासन को कई बार लिखा, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः न्याय करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त प्रकरण में NCST ने अपने नोटिस दिनांक 29.1.2025 के द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को 15 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या भेजने का आग्रह किया गया ।परंतु संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अत: एनसीएसटी ने इस मुद्दे पर 04.03.2025 को शाम 5:20 बजे संबन्धित प्राधिकारियों और आवेदिका के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया । तदनुसार, दिनांक 27.02.2025 को संबन्धित प्राधिकारियों और आवेदिका को सिटिंग नोटिस भेजा ।

3. सिटिंग नोटिस के उत्तर में, सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने अर्धशासकीय पत्र Q-11021/232025-HR (ICMR) दिनांक 3.3.2025 द्वारा सिटिंग में उपस्थित न हो पाने का कारण बताते हुये यह सूचित किया कि संबंधित विभाग (DHR तथा ICMR) के अधिकारीगण उपस्थित होंगे ।

4. सिटिंग में ICMR की वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशासन) तथा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के निदेशक एंव आवेदिका उपस्थित हुये। आवेदिका ने अपने अभ्यावेदन में उठाए गए बिन्दुओं को दोहराया तथा नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया । आवेदिका ने यह भी बताया कि संबंधित विभाग द्वारा उनके तकनीकी शिक्षा की जांच हेतु अधिकारी उनके शिक्षण संस्थान में गए थे, जहां से उन्होने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। इस पर संबंधित ICMR तथा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण में आवेदिका को नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व, उसकी तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र की जांच करना आवश्यक होने के कारण, अधिकारियों को जांच हेतु भेजा गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच तथा अन्य आवश्यक कार्यवाई पूर्ण होने के बाद, आवेदिका को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा ।

5. दोनों पक्षो को सुनने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित संस्तुति की तथा बैठक की तिथि से महीने के अंदर की गई कार्यवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध करने का कष्ट करे ।

1. आवेदिका को तकनीशियन – 1, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र, जांच होने के बाद अविलंब जारी करने की कार्यवाई करे ।
2. अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु Internal Grievance Committee (आंतरिक शिकायत समिति) की स्थापना, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में की जाए, जैसा कि NCST ने August 2021 में सभी मंत्रालयों/ विभागो को उनके अधीनस्थ निकायो में स्थापित करने को कहा गया है ।

जाटोतु हुसेन / Jatothu Hussain
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

List of participants of the sitting held on 4.3.2025 at 5:20 PM under the Chairmanship of Shri Jatothu Hussain, Hon'ble Member, NCST in the case of Smt. Mohini regarding अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के साथ राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के प्रशासन द्वारा अन्याय करने के संबंध में

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. P.K Reddy Director		
2.	NCST Officials		
II	D/o Health Research		
Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
1	मनीषा सक्सेना	आई० सी० एम० आर०	मनीषा
III	National Institute of Malaria Research		
	डा० अनुप अन्वीकर	NIMR	[signature]
IV	Petitioner		
	MOHINI	9315593613	Mohini